पंजाब राज्य और अन्य

बनाम

सुरिंदर सिंह और अन्य

25 अक्टूबर, 2007

[ए. के. माथुर और मार्कंडेय काटजू जे.जे.]

सेवा कानूनः

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी-समान काम के लिए समान वेतन का दावा- निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार: समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने के लिए समान रूप से स्थित दो व्यक्तियों के बीच पूर्ण और कुल एकरूपता होनी चाहिए। एक नियमित नियुक्ति के मामले में, वे एक चयन प्रक्रिया से गुजरे हैं और उनकी सेवाएं नियमित है। भले ही एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित कर्मचारी के समान कार्यों का निर्वहन कर रहा हो, अधिकारी दैनिक वेतनभोगी को समान वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि उन्हें अल्पावधि के लिए नियुक्त किया गया है और उन्हें चयन प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा है।

उच्च न्यायालय और निचली अतालत के आदेशों को अपास्त किया गया।

एस. सी. चंद्रा और अन्य। वी. झारखंड राज्य और अन्य [2007] 9 एस. सी. आर. 130= जे. टी. (2007) 10 एस. सी. 272, पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2001 की सिविल अपील सं. 5607-5608

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के 2000 के आर.एस.ए. सं. 42-43 मे पारित निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 24.05.2000 में

अपीलार्थियों की ओर से निखिल जैन और अजय पाल।

उत्तरदाताओं की ओर से नीरज कुमार जैन, भरत सिंह, संजय सिंह, संदीप चतुर्वेदी, सचिन जैन और उग्र शंकर प्रसाद।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया था।

आदेश

पक्षकार की ओर से विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

यह अपीलें विद्वान एकल न्यायधीश पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दि. 24/5/2000 को आरएसए नम्बर 42/2000 व

43/2000 में पारित निर्णय व आदेश के विरुद्ध पेश की है जिसमें निचली अदालत द्वारा जारी आदेश बहाल किया गया था।

निचली अदालत ने निर्देश दिया था कि प्रतिवादी जो दैनिक मजदूरी के आधार पर ट्रैक्टर चालक के रूप में काम कर रहे थे उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त के आधार पर नियमित रूप से नियुक्त किए गये कर्मचारी के समान वेतन प्रदान किया जावे लेकिन दूसरी राहत उनकी सेवाओ के नियमितीकरण के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित पंजाब राज्य ने हमारे सामने अपील की।

इस न्यायालय द्वारा 17.8.2001 को विशेष अनुमति याचिका स्वीकार की गई थी और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी गई थी। आज अपीलें अंतिम सुनवाई के लिए हमारे सामने हैं।

हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है और उच्च न्यायालय के साथ-साथ विचारण न्यायालय के भी निर्णय पर विचार किया।

समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत में भारी बदलाव आया है। इससे पहले इस न्यायालय का विचार था कि यदि दो व्यक्ति समान

कार्य का निर्वहन कर रहे हैं तो वे समान मजदूरी के हकदार होंगे। इसके बाद दृष्टिकोण बदल गया है और अब इस न्यायालय का विचार है कि

समान रूप से स्थित दोनों व्यक्तियों के बीच पूर्ण और कुल पहचान होने पर ही समान काम के के लिए समान वेतन प्रदान किया जावेगा। हाल ही में इस न्यायालय ने कहा है कि

दो व्यक्तियों के बीच पहचान पूर्ण और कुल होनी चाहिए। नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी एक चयन प्रक्रिया से गुजरे हैं और उनकी सेवाएँ नियमित हैं। भले ही एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अर्थात् जो दैनिक मजदूरी के आधार पर अल्पावधि के लिए नियुक्त किया गया है और चयन प्रक्रिया का सामना नहीं किया है नियमित नियुक्त कर्मचारी के समान कार्य करने पर भी अधिकारी उसे एक नियमित कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारी के समान वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत केवल तभी दिया जाना चाहिए जब दोनों व्यक्तियों के बीच कुल और पूर्ण एकरूपता हो। इस दृष्टि से इस विचार में हमें एस. सी. चंद्रा बनाम वी. झारखंड राज्य और अन्य। [2007] 9 एससीआर 130-जेटी [2007] 10 एस.सी. 272 मामले से समर्थन प्रदान किया गया है जिसने इस न्यायालय के पहले के फैसलों का उल्लेख किया है।

उपरोक्त निर्णय में हममें से एक (मार्कण्डेय काटजू, जे.) सहमति देने वाले फैसले में कहा गया है कि वेतनमान देना एक कार्यपालिका या विधायिका कार्य है, न कि न्यायिक कार्य। राज्य के तीन अंगों के बीच संविधान के तहत् शक्तियों का पृथककरण किया गया है और न्यायपालिका को अन्य अंगों के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। शक्तियों के पृथक्करण का मॉटेस्कियस सिद्धांत भारत में भी व्यापक रूप से लागू होता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कानूनी स्थिति को देखते हुए हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों का वेतनमान देने की राय ठीक नहीं है।

नतीजतन, हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के साथ-साथ विचारण न्यायालय के भी द्वारा दायर किए गए मुकदमों को खारिज करते हैं और आदेश को रद्द कर देते हैं।

यहां उत्तरदाताओ की अपीलें स्वीकार की जाती हैं। खर्चा के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अपीलें स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी निधि शर्मा-II (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।